FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 35-Sikar Assembly constituency.

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare

Shri RAJENDRA PAREEK

LASADIA BAS, SALASAR BUS STAND, SIKAR (RAJASTHAN)

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in the House from the above constituency.

Place: SIKAR

Date: 03 December 2023

Signature

Returning Officer.

(JAI KAUSHIK) RETURNING OFFICER SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE

35-SIKAR ASSEMBLY CONSTITUENCY

प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

35-सीकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री राजेन्द्र पारीक

लसाड़िया बास, सालासर बस स्टेण्ड, सीकर (राजस्थान) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं |

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो

स्थान : सीकर

.0-3

दिनांक : 03 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी (जय कोशिक) रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाधन क्षेत्र सीकर (35) (उंग्खण्ड अधिकारी एवं उपटण्ड गजिरट्रेट, सीकर)